न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 40/2024

प्रकरण दर्ज तिथि :— 07.03.2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024/71

गोरीशंकर अजमेरा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अजमेरा, उम्र—वयस्क, जाति महेश्वरी निवासी 147 श्री विहार कॉलोनी चौथा आवन्यु दुर्गापुरा जयपुर जरिये आम मुख्तयार आम मुख्तयार सुल्तानसिंह चौधरी पुत्र रामेश्वरलाल चौधरी, उम्र—42 वर्ष जाति जाट निवासी बदनपुरा तहसील सांगानेर जयपुर राज. **वादी**

बनाम

1. एम. के. एजिक्म (इन्डिया) लि. जयपुर मार्फत नरेश अजमेरा पुत्र बी. एस. अजमेरा उम्र—55 वर्ष, जाति महेश्वरी निवासी जयपुर जिला जयपुर राज.
2. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण

2 प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री मनीष साहू अधिवक्त उपस्थित

निर्णय

दिनांकः **24.07.2024**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88,89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा खिंवल पटवार हल्का रायपुर द्वितिय भु. अभि. निरी. रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 215 खसरा सं. 2495/5 रकबा 47.8257 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 2504/16 रकबा 4.9372 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, भुमि प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम खातेदारी कृषि भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा संवत् 2074—2077 की जमाबंदी की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण की एवं वादी की खरीदशुदा भुमि आई हुई है। वादी के नाम पुर्व मे 61 बीघा 35 बिस्वा भुमि दर्ज थी। जो पुराने खसरा सं. 2504/2 व 2504/8 मे 19—18 बीघा भुमि बनती थी एवं पुराने खसरा सं. 2495 मे वादी के नाम 41 बीघा 09 बिस्वा भुमि कुल 61—07 बीघा बनती थी। एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम पुराने खसरा सं. 2504/2 व 2504/8 मे 19—02 बीघा भुमि बनती थी एवं पुराने खसरा सं. 2495 मे प्रतिवादी के नाम 219 बीघा 17 बिस्वा कुल 238—19 बीघा भुमि बनती थी। जो पुरानी जमाबन्दी सवत् 2074—2077 के ज्ञात होता है। विवादित भुमि का बॅटवाडा होने पर नरेश अजमेरा एवं गोरीशंकर अजमेरा का एक ही हिस्सा मानते हुए वादी के हक हिस्से की ज्यादातर भुमि प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी। एवं प्रतिवादी सं. 1 की कुल भुमि 238—19 बीघा के स्थान पर वर्तमान मे 325 बीघा 19 बिस्वा भुमि (52.7629 हैक्टेयर) दर्ज है जिससे यह ज्ञात होता है कि वादी की भुमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गयी। विवादित भुमि मे प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी को उसके हक हिस्से तक की भुमि को लेने एवं अपने नाम दर्ज करवाने का सम्पुर्ण हक अधिकार है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से मे से खसरा सं. 2504/16 मे से प्रतिवादी के हक हिस्से की भुमि छोडते हुए 1.8454 हैक्टेयर भुमि व खसरा सं. 2495/5 मे से 8.0855 हैक्टेयर भुमि का वादी खातेदार काश्तकर घोषित किया जावें। जिससे वादी को होने वाली आर्थिक हानि से बचाया जा सकें। वर्तमान मे वादी ने दिंनाक 15/01/2023 को ईमित्र से जमाबन्दी निकलवाई तब वादी का नाम दर्ज नही होने पर वो हल्का पटवारी के पास गया एवं हल्का पटवारी के द्वारा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी मे वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी ने जमाबन्दी की नकल वर्तमान पटवारी महोदय के पास जाने पर हल्का पटवारी ने माननीय न्यायालय मे वाद पेश कर न्यायालय से आदेश करवाकर लाने की सलाह दी। जिस कारण उक्त वाद बमुकाम खिंवल पटवार हल्का रायपुर द्वितिय तहसील—रायपुर, में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। वादी के द्वारा खरीद भुमि के पुराने राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज है, तथा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करती आ रही है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया जाता है तो वादी को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं हो पायेगे जिससें वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड मे खातेदार की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 से अनुतोष चाहने के कारण व प्रतिवादी सं0 2 भु स्वामी होने से प्रतिवादी बनाया गया है। शेष सहखातेदार से कोई अनुतोष नही चाहने से उन्हे पक्षकार नही बनाया है।

खातेदार गोरीशंकर अजमेरा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अजमेरा, उम्र–वयस्क, जाति माहेश्वरी निवासी 147 श्री विहार कॉलोनी चौथा आवन्यु दुर्गापुरा जयपुर रहने से एवं वृद्व होने से न्यायालय मे अपनी उपस्थिति नही दे पाने के कारण एवं उन्होने राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने हेतु सुल्तानसिंह चौधरी पुत्र रामेश्वरलाल चौधरी, उम्र–42 वर्ष जाति जाट निवासी बदनपुरा तहसील सांगानेर जयपुर राज. को मुख्तार आम नियुक्त कर रखा है।

डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद में वर्णित सरहद मौजा खिंवल पटवार हल्का रायपुर द्वितिय भु. अभि. निरी. रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर के खाता सं. 215 खसरा सं. 2495/5 रकबा 47.8257 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 2504/16 रकबा 4.9372 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, कृषि भुमि आई हुई है जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है जबकि उसमे वादी का हक हिस्सा बनता है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी को उसके हक हिस्से तक की भुमि को लेने एवं अपने नाम दर्ज करवाने का सम्पुर्ण हक अधिकार होने से प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से मे से खसरा सं. 2504/16 मे से 1.8454 हैक्टेयर भुमि व खसरा सं. 2495/5 मे से 8.0855 हैक्टेयर भुमि का वादी खातेदार काश्तकर घोषित किया जावें। उक्त आदेश की पालना हेतु प्रतिवादी सं. 2 को लिखा जावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर श्री मनीष साहू अधिवक्ता ने वकालतनामा व इकबालिया जबावदावा पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। प्रस्तुत जबावदावा में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण की एवं वादी की खरीदशुदा भुमि आई हुई है। वादी के नाम पुर्व मे 61 बीघा 35 बिस्वा भुमि दर्ज थी। जो पुराने खसरा सं. 2504/2 व 2504/8 मे 19–18 बीघा भुमि बनती थी एवं पुराने खसरा सं. 2495 मे वादी के नाम 41 बीघा 09 बिस्वा भुमि कुल 61–07 बीघा बनती थी। एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम पुराने खसरा सं. 2504/2 व 2504/8 मे 19–02 बीघा भुमि बनती थी एवं पुराने खसरा सं. 2495 मे प्रतिवादी के नाम 219 बीघा 17 बिस्वा कुल 238–19 बीघा भुमि बनती थी। विवादित भुमि का बॅटवाडा होने पर नरेश अजमेरा एवं गोरीशंकर अजमेरा का एक ही हिस्सा मानते हुए वादी के हक हिस्से की ज्यादातर भुमि प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दि। एवं प्रतिवादी सं. 1 की कुल भुमि 238–19 बीघा के स्थान पर वर्तमान मे 325 बीघा 19 बिस्वा भुमि (52.7629 हैक्टेयर) दर्ज है वादी की भुमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी को उसके हक हिस्से तक की भुमि को लेने एवं अपने नाम दर्ज करवाने का सम्पुर्ण हक अधिकार है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से मे से खसरा सं. 2504/16 मे से प्रतिवादी के हक हिस्से की भुमि छोडते हुए 1.8454 हैक्टेयर भुमि व खसरा सं. 2495/5 मे से 8.0855 हैक्टेयर भुमि का वादी खातेदार काश्तकर घोषित किया जाने की सहमति दी जाती है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबावदावा का अवलोकन वादी अधिवक्ता द्वारा किया गया। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वादपत्र में इकबालिया जबावदावा प्रस्तुत होने से उक्त वादपत्र अनुसार वादी के पक्ष में वादपत्र डिक्री किया जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की हैं। वादी के समर्थन में वादी द्वारा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया ... संलग्न ... वादी के बयान कलमबद्ध कर पत्रावली संलग्न किये एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष बहस समायत की गई।

पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादग्रस्त ... कथ्यों को स्वीकार कर माफिक इस्तेदुआ अनुसार वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं दर्शाई। दौरान बहस अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्त कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री करने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता वादी के भी जबावगत कथनो को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/16 रकबा 4.9372 मे से 1.8454

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

हैक्टेयर भुमि व खसरा सं. 2495/5 रकबा 47.8257 मे से 8.0855 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/16 रकबा 4.9372 मे से 1.8454 हैक्टेयर भुमि व खसरा सं. 2495/5 रकबा 47.8257 मे से 8.0855 हैक्टेयर भूमि का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

गोरीशंकर अजमेरा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अजमेरा, उम्र–वयस्क, जाति महेश्वरी निवासी 147 श्री विहार कॉलोनी चौथा आवन्यु दुर्गापुरा जयपुर जरिये आम मुख्तयार आम मुख्तयार सुल्तानसिंह चौधरी पुत्र रामेश्वरलाल चौधरी, उम्र–42 वर्ष जाति जाट निवासी बदनपुरा तहसील सांगानेर जयपुर राज. **वादी**

बनाम

1. एम. के. एजिक्म (इन्डिया) लि. जयपुर मार्फत नरेश अजमेरा पुत्र बी. एस. अजमेरा उम्र–55 वर्ष, जाति महेश्वरी निवासी जयपुर जिला जयपुर राज.
2. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद संख्या 40/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री मनीष साहू प्रतिवादीगण संख्या 01 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/16 रकबा 4.9372 मे से 1.8454 हैक्टेयर भुमि व खसरा सं. 2495/5 रकबा 47.8257 मे से 8.0855 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज........................×..................मुबलिक................×...............बाबत्.............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×...........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.07.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	04	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	4	00	स्टाम्प हाजरी –	00	00
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	00	00
मुतफरिक –	10	00	मीजान		
मीजान	18	00		02	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन [illegible] डिग्री के जरिये [illegible] गया हो नही दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:33 IST
Reason: SelfAttested